यू.एस. कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) गृह मंत्रालय से पृथक व एक विशिष्ट निकाय है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाया गया यह निकाय, एक स्वतंत्र, द्विदलीय व अमेरिकी सरकार का सलाहकार निकाय है जो विश्व स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है और राष्ट्रपति, गृहमंत्री और कांग्रेस के लिए नीतिगत अनुशंसा करता है। यूएससीआईआरएफ इन अनुशंसाओं का आधार हमारे वैधानिक शासनादेश और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानकों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को बनाता है। कमिशनर और पेशेवर स्टाफ द्वारा जमीनी तौर पर हुए इन उल्लंघनों को दस्तावेजीकृत करने का एक वर्ष का काम पूरा होने को 2015 की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है और अमेरिकी सरकार के लिए स्वतंत्र नीतिगत अनुशंसाएँ करती है। 2015 की वार्षिक रिपोर्ट में 31 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक की अवधि सम्मिलित की जाती है हालांकि कुछ मामलों में इस समयसीमा के बाद हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है।

भारत

मुख्य निष्कर्षः देश की एक बहुलतावादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र स्थिति होने के बावजूद, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों की रक्षा करने अथवा अपराध होने पर न्याय दिलाने में भारत लंबे समय से संघर्ष करता आया है, जिसके कारण दंडित होने से बच निकलने का वातावरण लगातार बना रहता है। धार्मिक रूप से प्रेरित हमले और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्यों में सर्वाधिक संख्या में होती हैं। देश के 2014 के आम चुनाव संपन्न होने से पहले, गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) और धार्मिक नेताओं, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख समुदायों के नेता भी शामिल हैं, ने धर्म आधारित-विभाजनकारी चुनाव प्रचार को शुरुआती तौर पर बढ़ाने में भूमिका अदा की। चुनाव के बाद से, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से जुड़े राजनीतिज्ञों द्वारा अपमानजनक टिप्पणियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) व विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) जैसे हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा कई हिंसक हमलों और जबरदस्ती धर्र्मांतरण का सामना कर रहे हैं। ईसाई एनजीओ और नेताओं ने रिपोर्ट दी है कि उनके समुदाय उन राज्यों में विशेष रूप से खतरे में है जिन राज्यों ने ''धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम'' को अपनाया है जोकि आमतौर पर धर्र्मांतरण विरोधी कानूनों के रूप में जाना जाता है। इन चिंताओं के आधार पर, यूएससीआईआरएफ ने दोबारा भारत को ऐसे देशों दूसरे दर्जे की सूची में रखा है जिस सूची में वह वर्ष 2009 से मौजूद रहा है।

पृष्ठभूमि

122 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत एक अत्यंत धार्मिक, बहुलतावादी समाज है। हिंदुओं के बहुमत वाले इस देश, भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होने का अनुमान है और 2.5 करोड़ से अधिक ईसाई हैं। देश की धार्मिक विविधता सरकार के उच्चतम स्तर पर भी व्यक्त होती रही है।

इन सकारात्मक कारकों के बावजूद, भारत लंबे समय से धार्मिक और सांप्रदायिक समन्वय स्थापित करने में जूझता रहा है। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक तनाव एक लंबे समय से समस्या का मुद्दा बना हुआ है। वर्ष 2008 और 2010 के आतंकवादी हमले के बाद से, मुस्लिम समुदायों ने अनुचित जांच-पड़ताल का सामना करने और मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने व हिरासत में रखने की सूचना दी है जिसे सरकार आतंकवाद से निपटने की एक आवश्यकता मानते हुए जरूरी बताती है। इसके साथ, भारतीय ईसाई, ईसाई मिशनरी समूहों और ईसाई या किसी और धर्म में परिवर्तित होने वाले हिंदुओं ने उनके साथ लगातार अधिक उत्पीड़न और हिंसा होने की सूचना दी है, विशेष रूप में उन राज्यों में जिनमें धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों ने बार-बार आरएसएस, वीएचपी और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी समूहों व व्यक्तियों पर उनके खिलाफ असहिष्णुता, भेदभाव और हिंसा करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही, हिंसा फैलाने वाले लोगों की पर्याप्त रूप से जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहने के लिए वे पुलिस के पक्षपात का उल्लेख करते हैं। इसके अतिरिक्त, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय यह चिंता प्रकट करते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य इन समूहों की रक्षा करते हैं या इनका समर्थन करते हैं। इन चिंताओं की रोशनी में, इस रिपोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थन में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन (जिस पर नीचे पूरी तरह से चर्चा की गई है) एक सकारात्मक विकास का संकेत था।

देश ने समय-समय पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसाओं का अनुभव किया है जिसमें उत्तर प्रदेश में 2013 में, उड़ीसा में 2007-2008 में, गुजरात में 2002 में और दिल्ली में 1984 भी शामिल हैं। भारत ने इन घटनाओं से जन्म लेने वाले अपराधों की जांच करने और उनपर निर्णय देने के लिए विशेष संरचनाओं जैसे कि फास्ट ट्रैक न्यायालय, विशेष जांच टीम और स्वतंत्र आयोगों की स्थापना की है। हालांकि, उनके प्रभावों को सीमित क्षमता, पुराने ढर्रे की न्यायपालिका, असंगत उपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार और धार्मिक पक्षपात द्वारा, विशेष रूप से राज्य और स्थानीय स्तर पर बाधित कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप, समुदायों

के बीच धार्मिक और सामाजिक तनाव की भावना बढ़ाते हुए, दंडित होने से बच निकलने का वातावरण अभी भी भारत के कुछ राज्यों में बना हुआ है।

धार्मिक स्वतंत्रता की शर्तें 2014-2015

ईसाइयों के खिलाफ उल्लंघनः अलग-अलग मत मानने वाले, कई ईसाई समुदायों ने पिछले साल में उत्पीड़न और हिंसा में वृद्धि की रिपोर्ट दी है जिसमें शारीरिक हिंसा, आगजनी, चर्च और बाइबल को अपवित्र करने और धार्मिक कार्यों में बाधा डालना भी शामिल है। अपराधी अक्सर आरएसएस व वीएचपी से जुड़े व्यक्ति व समूह होते हैं और वे लगभग दंडित होने से बच निकलने की स्थिति में काम करते हैं। समाचारों के अनुसार, स्थानीय पुलिस शायद ही कभी सुरक्षा प्रदान करती है, शिकायतों को स्वीकार करने से मना कर देती है, कभी-कभार ही जांच करती है और कुछ मामलों में ईसाइयों को वहाँ से चले जाने या उनके धर्म को छुपाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दि इवेंजिलिकल फैलोशिप ऑफ इंडिया ने 38 से अधिक ऐसी घटनाएँ दर्ज की हैं जिसमें केवल नवंबर और दिसंबर 2014 में ईसाइयों को लक्षित किया गया है। भारत के कैथोलिक समुदाय ने भी ऐसी कई घटनाएँ दर्ज की है जिनमें दिसंबर 2014 और फरवरी 2015 के बीच चर्च और एक स्कूल पर हमले की कम से कम छह घटनाएँ शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर, दिसंबर में, दिल्ली में स्थित सेंट सेबेस्टियन कैथोलिक चर्च में आग लगा दी गई, क्रिसमस पर ईसाई भजन (कैरोल) गाने वाले कैथोलिक अनुयायियों की हैदराबाद में भीड़ द्वारा बुरी तरह पिटाई की गई और दिल्ली में स्टोर की सामने वाली खिड़की में यीशु की तस्वीरें प्रदर्शित करने के लिए लगभग 25 हिंदू राष्ट्रवादियों ने एक कैथोलिक दुकानदार पर बेरहमी से हमला किया।

मुसलमानों के खिलाफ उल्लंघनः भारत में मुसलमान समुदाय ने भी उत्पीड़न और हिंसा के मामलों में वृद्धि होने को अनुभव किया है। इन्हें नफरत फैलाने वाले कई अभियानों का सामना करना पड़ता है जिनकी शुरुआत हिंदू राष्ट्रवादी समूहों और स्थानीय व राज्य के नेताओं द्वारा की जाती है जिसमें बड़े पैमाने पर किया जाने वाला मीडिया कुप्रचार भी होता है जिसमें मुसलमानों पर आतंकवादी होने; पाकिस्तान के लिए जासूसी करने; हिंदू औरतों का जबर्दस्ती अपहरण, धर्म परिवर्तन करने और उनसे शादी करने; और हिंदुओं का अपमान करने के लिए गाय का कत्ल करने का आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा, मुस्लिम समुदायों ने रिपोर्ट दी है कि उनकी मस्जिदों पर नजर रखी जाती है और युवा लड़कों व आदमियों को आतंकवाद से निपटने के नाम पर धड़ल्ले से गिरफ्तार किया जाता है। मुसलमान यह भी शिकायत करते हैं कि गाय

के कत्ल करने पर प्रतिबंध या रोक लगाकर, अधिकांश भारतीय राज्य उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं जिसकी जरूरत ईद उल-अज़हा (बलिदान के त्योहार) में मुसलमानों को पड़ती है।

इसके साथ ही, पिछले एक साल में कई हिंसक घटनाएँ हुई है जिससे मुसलमानों की मृत्यु हुई और उन्हें विस्थापित होना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर, जनवरी 2015 में, एक युवा हिंदू आदमी का अपहरण और हत्या होने के बाद 5000 से अधिक लोगों की एक भीड़ ने अजीज़पुर, बिहार के मुस्लिम बहुल गांव पर हमला किया। तीन मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया और लगभग 25 घरों में आग लगा दी गई। पुलिस ने कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया। सिंतबर 2014 में, पुलिस ने हिंसा के बाद जिसमें अधिकतर गंभीर रूप से घायल मुस्लिम थे, लगभग 150 व्यक्तियों को गुजरात राज्य में गिरफ्तार किया। कथित तौर पर हिंसा की शुरुआत तब हुई जब कुछ हिंदू राष्ट्रवादियों ने इंटरनेट पर हिंदू देवी मां अंबे और भगवान राम की तस्वीरों को मक्का और काबा के ऊपर लगाकर पोस्ट कर दिया।

सिखों के खिलाफ उल्लंघनः भारत के सिख समुदाय ने लंबे अरसे से भारत के संविधान की धारा 25 में परिवर्तन के लिए निरंतर संघर्ष किया है जिसमें उल्लेखित है, ''हिंदुओं का दर्जा उन व्यक्तियों को भी दिया जाएगा जो व्यक्ति सिख, जैन या बौद्ध धर्म के हैं और तदनुसार हिंदू धार्मिक संस्थाओं का संदर्भ भी इसी प्रकार दिया जाएगा।'' सिख धर्म की अलग धर्म के तौर पर मान्यता न होने के कारण सिखों की सामाजिक सेवाओं या नौकरियों और शैक्षिक वरीयताओं तक पहुंच सीमित हो जाती है जोकि अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और अनुसूचित जाति के हिंदुओं के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। (यह अन्य धर्मों के लिए भी सत्य है जो धारा 25 में सूचीबद्ध हैं।) सिखों को परेशान भी किया जाता है और उन पर दबाव भी डाला जाता है कि वे धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों का पालन न करें जो कि सिख धर्म में विशेष तौर पर किए जाते हैं जैसे कि उनकी पोशाक, बिना कटे हुए बाल और धार्मिक सामान को साथ रखना जिसमें कृपाण भी शामिल है।

सांप्रदायिक हिंसाः आमतौर पर बड़े अल्पसंख्यक समुदायों के निवास वाले राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा होना भारत में एक पुराना मुद्दा रहा है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, 2013 में पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा की 823 घटनाएँ हुई हैं जिसमें 133 लोगों की मृत्यु हुई और हजारों घायल हुए जिनमें से कुछ गंभीर रूप से भी घायल हुए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक घटनाएँ (247) हुई हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र (88), मध्य प्रदेश (84), कर्नाटक (73) और गुजरात (68) आते

हैं। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर नजर रखने वाले मुस्लिम और ईसाई एनजीओ के अनुसार 2014 के आंकड़े पहले से अधिक होने की संभावना है जो अभी तक मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किए गए हैं।

हिंदू राष्ट्रवादी समूह और जबरन धर्मांतरणः दिसंबर 2014 में, हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने तथाकथित ''घरवापसी'' (घर वापिस आना) कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर क्रिसमस के दिन उत्तर प्रदेश में कम से कम 4,000 ईसाई परिवारों और 1,000 मुस्लिम परिवारों को जबरदस्ती ''पुनःधर्मांतरित'' करने की योजना घोषित की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदू समूहों ने इस अभियान के लिए धन इकट्ठा करना शुरू किया, यह बताते हुए कि इसमें प्रति ईसाई 2,00,000 रुपये (3200 अमेरिकी डॉलर) और प्रति मुसलमान 5,00,000 रुपये (8,000 अमेरिकी डॉलर) लगभग खर्चा आएगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आलोचना होने के बाद आरएसएस नेता मोहन भागवत के अनुसार इसे ''टाल दिया गया।'' हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने कथित तौर पर ईसाइयों और मुसलमानों को हिंदू धर्म में धर्मांतरित करने के लिए हिंदुओं को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया। दिसंबर के शुरुआती दिनों में, आगरा, उत्तर प्रदेश में एक बड़े समारोह में कई 100 मुसलमान कथित रूप से जबरदस्ती हिंदू धर्म में ''पुनःधर्मांतरित'' हुए। आरएसएस के सदस्यों ने कथित रूप से यह कहते हुए दर्जनों मुसलमान परिवारों को एक बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रलोभन दिया कि उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी लेकिन इसके बजाए हिंदू धार्मिक नेता ने हिंदू धर्मांतरण समारोह आयोजित किया; इस मामले की जांच चल रही है। सितंबर 2014 में, दलित सेवन्थ-डे एडवेन्टिस्ट ने उत्तर प्रदेश में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उन्हें बलपूर्वक हिंदू धर्म में धर्मांतरित किया गया और उनके चर्च को हिंदू मंदिर में बदल दिया गया। यह ज्ञात नहीं है कि क्या कोई पुलिस जांच हुई। राष्ट्रवादी समूहों ने कथित रूप से उन दलितों को लक्षित किया अगर उन्हें ऐसा लगा कि वे हिंदू धर्म के अलावा धर्मांतरण करने पर विचार कर रहे हैं।

धर्मांतरण विरोधी कानूनः छह भारतीय राज्यों - छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा - में तथाकथित ''धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम'' लागू है जिसे सामान्य रूप से धर्मांतरण विरोधी कानून कहा जाता है और राजस्थान की विधान सभा ने एक धर्मांतरण विरोधी बिल पास किया परंतु इस पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए। इन कानूनों के अनुसार आमतौर पर सरकारी अधिकारियों के लिए केवल हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मांतरणों की वैधता का मुल्यांकन करना आवश्यक है और ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जुर्माने और कैद की सजा का प्रावधान है जो अन्य व्यक्ति को धर्मांतरित करने के लिए ताकत, धोखाधड़ी या ''प्रलोभन'' का उपयोग करता है। हालांकि यह कानून अनुमानतः

जबरन धर्मांतरण से धार्मिक अल्पसंख्यको की रक्षा करता है परंतु वे एकतर्फा कानून है जो केवल हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मांतरणों के बारे में चिंतित है लेकिन हिंदू धर्म में होने वाले धर्मांतरण पर कोई चिंता जाहिर नहीं करते हैं। पर्यवेक्षकों ने गौर किया कि वे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक शत्रुतापूर्ण, और कई अवसरों पर हिंसक वातावरण तैयार करते हैं क्योंकि उनके लिए गलत आचरण के आरोप के समर्थन में किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2015 में पार्टी अध्यक्ष, अमित शाह सहित, सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने पूरे देश में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की मांग की। ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ ईसाई समूह ऐसे गलत तरीके आजमाते हैं जो अनैतिक हैं और हिंदू धर्म व हिंदुओं के लिए अपमानजनक है जिससे धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है।

बड़े पैमाने की हिंसा की पिछली घटनाओं पर समुचित कार्रवाईः भारतीय न्यायालयों में वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में और वर्ष 2002 में गुजरात में हुई बड़े पैमाने की हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा, 2007-08 में उड़ीसा में हिंदू-ईसाई सांप्रदायिक हिंसा और वर्ष 1984 में दिल्ली में हिंदू-सिख सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों पर सुनवाई चल रही है। गैर-सरकारी संगठन, धार्मिक नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता इन जांच और न्यायिक कार्रवाइयों में धार्मिक पूर्वाग्रह और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। दर्जनों लोगों, अधिकांशतः मुस्लिम लोगों को मृत और हजारों लोगों, अधिकांशतः मुस्लिम लोगों को बेघरबार बनाने वाले वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुए दंगों की जांच एक सदस्य वाले विशेष न्यायिक जांच आयोग द्वारा की जा रही है। 2002 गुजरात हिंसा से जुड़े मामले अभी भी चल रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व संसद सदस्य एहसान जाफरी सहित, 68 लोगों की हत्या से जुड़ा एक विशेष न्यायिक मामला शामिल है। उड़ीसा हिंसा के पांच से अधिक वर्षों बाद भी मामले अभी न्यायालय के अधीन हैं। जुलाई 2014 में राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि दंगों के दौरान नुकसानग्रस्त हुए चर्च अतिरिक्त मुआवजा पाने के पात्र नहीं हैं क्यांेकि उन्हें पर्याप्त विदेशी पैसा मिलता है। वर्ष 1984 के बाद से सिख विरोधी दंगों के दौरान अपराध के लिए उकसाने वाले षणयंत्रकारियों को सजा देने के काम में बहुत थोड़ी प्रगति ही हुई है जो कथित रूप से सरकारी अधिकारियों या भारत की कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सदस्यों के समर्थन या प्रोत्साहन से हुआ। हालांकि, वर्ष 2014 के अंतिम महीनों में केंद्र सरकार ने यह निर्धारित करने की एक कमेटी बनाई कि पहले बंद किए जा चुके मामलों की पुनः जांच करने के लिए क्या कोई विशेष जांच टीम (एसआईटी) बनाई जाए।

अमेरिकी नीति

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से, भारत और अमेरिका ने लगातार गहरे होते रिश्ते देखे हैं जबकि भारत को अब अमेरिका का ''रणनीतिक'' और ''स्वाभाविक'' सहयोगी बताया जाता है। वर्ष 2009 में, उस समय की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी भारतीय रणनीतिक संवाद आरंभ किया जिसके माध्यम से ये दोनों देश कई प्रकार के द्विपक्षीय, वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों पर विचार किया जैसे आर्थिक विकास, व्यवसाय और व्यापार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई और पर्यावरण। वर्ष 2009 के बाद से पांच रणनीतिक संवाद हो चुके हैं, इनमें से किसी भी संवाद में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं हुए। जुलाई 2014 के संवाद में लिंग समानता और शहरी सुरक्षा संबंधी मामलों को शामिल किया गया जिसके फलस्वरूप यूएसऐड, भारत की राज्य सरकारों और जापान सरकार ने यूएन विमन के साथ समझौता किया ताकि लिंग आधारित हिंसा पर निगरानी रखने, इन्हें रोकने और इन पर प्रतिक्रिया रखने के लिए तंत्र को मजबूत करने और न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं का भरोसा कायम करने के उद्देश्य से ''सेफ सिटी'' कार्यक्रम को लागू किया।

अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते कायम करने के प्रयास के तौर पर, ओबामा प्रशासन ने भारतीय सरकार के प्रति महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है।। राष्ट्रपति बराक ओबामा की मेजबानी के अंतर्गत पहली राजकीय मुलाकात नवंबर 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ आयोजित की गई। नवंबर 2010 में, राष्ट्रपति ओबामा ने भारत में तीन दिन का राजकीय दौरा किया और भारत के वार्षिक गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए जनवरी 2015 में वे दोबारा आए और भारत में दो बार आने वाले वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने।

वर्ष 2015 में अपनी मुलाकात के दौरान, और दोबारा फरवरी 2015 में अमेरिकी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में भारत के धार्मिक स्वतंत्रता मामलों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। नई दिल्ली में टाउन हॉल के कार्यक्रम में अपने भाषण में भारत की सफलता के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का महत्व रेखांकित करते हुए देश से यह अपील की कि वे ''धार्मिक आस्था के अनुसार बिखरे नहीं और यह कहा कि मिशेल और मैं एक अविश्वसनीय, खुबसूरत देश जो शानदार विविधता से भरा हुआ है, से वापिस आ गए हैं - लेकिन यह ऐसा स्थान भी है जहां पिछले वर्षों में कई मौकों पर सभी प्रकार के धार्मिक आस्थाओं को दूसरी आस्था वाले अन्य लोगों द्वारा लक्षित किया गया और ऐसा केवल उनकी परांपरा और उनके विश्वास के कारण किया गया - ये असहनशीलता की ऐसी कार्रवाई थी जिनसे राष्ट्र को स्वतंत्रता हासिल करने में योगदान देने वाले व्यक्ति ख्महात्मा, गांधीजी को आघात पहुंचा होता।''

फरवरी 2015 के मध्य में, भारतीय कैथॉलिक संतों को सम्मानित करने वाले समारोह में, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी सरकार ''सुनिश्चित करेगी कि आस्था की संपूर्ण स्वतंत्रता हो और प्रत्येक व्यक्ति को जोरजबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के बगैर अपनी मर्जी से धर्म का पालन करने या उसे अपनाने का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हो।'' यह वक्तव्य वर्ष 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लंबे समय तक उन पर लगे इन आरोपों को देखते हुए उल्लेखनीय है कि श्री मोदी उस राज्य में मुस्लिम विरोधी दंगों में समान रूप से दोषी थे। वर्ष 2005 में इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के गृह मंत्रालय ने अमेरिका आने के लिए उन्हें दिए गए टूरिस्ट वीजा को इमीग्रेशन एंड नेशनेल्टी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत वापिस ले लिया जिसमें किसी भी विदेशी सरकारी अधिकारी को अमेरिकी वीजा पाने के लिए अपात्र माना जाता है जो ''किसी भी समय विशेष तौर पर धार्मित स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार था या प्रत्यक्ष रूप से सहभागी था।'' इस प्रावधान के तहत वीजा न पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अकेले व्यक्ति हैं।

अनुशंसा

2004 के बाद से, अमेरिका और भारत ने ऊर्जा, सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे के साथ-साथ लोकतंत्र और कानून के राज्य के साझा मूल्यों के बारे में अपनी साझा चिंताओं के आधार पर एक रणनीतिक रिश्ता मजबूत किया है। इस महत्वपूर्ण संबंध के हिस्से के तौर पर, यूएससीआईआरएफ ने सुझाव दिया कि अमेरिकी सरकार को करना चाहिएः

- संघीय और प्रांतीय, दोनों स्तरों पर भविष्य के महत्वपूर्ण संवादों का फ्रेमवर्क बनाने सहित भारत के साथ द्विपक्षीय संपर्कों में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति चिंता को शामिल करना और धार्मिक हिंसा के मामलों को प्रतिबंधित व दंडित करने के प्रभावकारी उपाय लागू करने और पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा करने के लिए राज्य व केंद्रीय पुलिस की क्षमता मजबूत करने को प्रोत्साहित करना;

- धार्मिक स्वतंत्रता और संबंधित मानवाधिकारों के मामलों पर अमेरिकी दूतावास द्वारा ध्यान दिए जाने को बढ़ाना जिसमें उन क्षेत्रों में राजदूत और अन्य अधिकारियों द्वारा दौरान करना शामिल है जहां सांप्रदायिक व धार्मिक प्रेरित हिंसा हुई है या होने की संभावना है और धार्मिक समुदायों, स्थानीय सरकारी नेताओं और पुलिस से बैठक करना;

- निष्पक्ष सरकारी अधिकारियों, अलग-अलग आस्था वाले धार्मिक नेताओं, मानवाधिकार समर्थकों और कानूनी विशेषज्ञों को ''सेफ सिटीज़'' कार्यक्रम (ऊपर बताया गया है) के

समान कार्यक्रम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि धार्मिक सहनशीलता और आपसी समझ बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई पर चर्चा और अनुशंसा की जा सके और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भय व हिंसा से सुरक्षित रखा जा सके;

- पुलिस व न्यायिक व्यवस्था के लिए मानवाधिकार व धार्मिक स्वतंत्रता के मानक व प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए भारत से अपील करना, खासतौर पर उन राज्य व क्षेत्रों में जहां धार्मिक व सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास या इसकी संभावना है;

- भारत की केंद्र सरकार से राज्यों पर यह दबाव डालने की अपील करना की वह धर्मांतरण विरोधी कानून में बदलाव लाएँ ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकार मानकों के अनुकूल बनाने के लिए बदला जा सके या संशोधित किया जा सके; ऐसे कानूनों के प्रति अमेरिकी विरोध को स्पष्ट करना जो विचारों व संगठन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं; और

- भारतीय सरकार को उन सरकारी अधिकारियों व धार्मिक नेताओं को सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करने के लिए अपील करना जिन्होंने धार्मिक समुदायों के बारे में अपमानजनक वक्तव्य दिए हैं।